श्रम सृजन

प्रथम अंक, वर्ष 2024

उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)

कार्यालय, आसनसोल

श्रम सृजन : प्रथम अंक : वर्ष 2024

मुख्य संरक्षक एवं संपादक :

श्री विनय कुमार त्रिवेदी

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल

संरक्षक :

वोनमी होरम, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल

श्री जगविंदर सिंह, सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल

सह-संपादक :

श्रीमती प्रतिमा साव

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, आसनसोल

संपादकीय सहयोग :

श्री दिनेश कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक, आसनसोल

श्री आशीष पटेल, निम्न वर्गीय लिपिक, आसनसोल

आवरण :

श्री देवज्योति मंडल

पुत्र - श्री बुद्धदेव मंडल, एम.टी.एस, आसनसोल

स्वीकारोक्ति :

'श्रम सृजन' में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक मंडल, राजभाषा विभाग अथवा उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय आसनसोल का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं की मौलिकता एवं उनमें व्यक्त विचारों के लिए रचनाकार स्वयं उत्तरदायी है। 'श्रम सृजन' में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र, प्रतीक, छवि आदि आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं।

संपर्क सूत्र

राजभाषा विभाग, कार्यालय उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.)
आसनसोल, कन्यापुर, आसनसोल जिला- पश्चिम
बर्धमान, राज्य - पश्चिम बंगाल, पिन - 713305
ई-मेल : dyclc.asansol-mole@gov.in

अनुक्रमणिका

शीर्षक	लेखक के नाम	पृष्ठ सं.
शीर्षस्थ मण्डलों का संदेश		1-7
लेख		
महिलायें एवं श्रम कानून	विनय कुमार त्रिवेदी	8-10
औद्योगिक विवादों का निपटान	जगविंदर सिंह	11
बालश्रम समस्या	मनोज प्रसाद	12-13
यात्रा वृतान्त	मनोज कुमार	14
घर और बगीचा	चंदना मण्डल	15
कार्यालयीन हिंदी प्रशिक्षण	दीपक साव	16-20
श्रम शिकायतों का निराकरण	जय प्रकाश चटर्जी	21
सूक्तियाँ	मानस कुमार चट्टोपाध्याय	22
हिंदी की प्रेरक उक्तियाँ	राकेश कुमार पासवान	22
कविता		
भूख ; शुभकामना	डॉ. ओंकार शर्मा "परिमल"	23
वीर जवान	डॉ. शिशिर कुमार सेठी	24
कर्मभूमि	प्रतिमा साव	25
मानव जीवन की विभीषिका	उदिता माजी	26
सुरंग में फंसी 41 जाने	दिनेश कुमार	27
सोमोएर ओभाव	मिठु माजी	28
बहुत याद आती है	आशीष पटेल	29
बड़ा साहब	बुद्धदेव मण्डल	30
हालत और हौसला	तीर्थंकर दासगुप्ता	31
बालक	ललिता कुमारी	32
भारत देश महान	गौतम कुमार	33
जब हम बच्चे थे	संटु साव	34
ई-सरल हिंदी वाक्य कोश	शब्द संस्कार	35-39
गतिविधियाँ		
राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, राजभाषा पखवाड़ा, नराकास स्तरीय राजभाषा कार्याशाला, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छता पखवाड़ा, योग दिवस, नराकास चल वैजयंती पुरस्कार, श्रमवीरों का सपरिवार परिदर्शन		40-43
चित्रावली		
देवज्योति मंडल, रौनक कुमार, प्रियब्रत पांजा, अर्कदीप भट्टाचार्य, संतोष कुमार, अर्पण माजी		44-45

रेमिस टिरू, कें.श्र.से.
मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय
श्रमेव जयते भवन, जी 4, सेक्टर 10,
द्वारका, नई दिल्ली - 110075
दूरभाष सं. : 011-23473347

संरक्षक की ओर से ....

इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि व्यावहारिक लक्ष्य और सुगम संवाद के लिए हिन्दी भाषा एक सशक्त माध्यम है।

मुझे खुशी है कि उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय, आसनसोल की ओर से एक हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर पत्रिका से जुड़े तमाम लोगों को और क्षेत्रीय कार्यालय, आसनसोल के हिन्दी अनुभाग को विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्य को सफल बनाया है।

पत्रिका का अहम उद्देश्य लोगों तक विचारों को पहुंचाना होता है। इस पत्रिका को प्रकाशित करते हुए यह भी सतत रूप से ध्यान में रखा गया है कि राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में प्रगति लाई जाए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि श्रम नियमों, श्रम से जुड़े मुद्दों को सरल हिन्दी में जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जिससे उनके प्रति लोगों की जानकारी बढ़े। पत्रिका में श्रम संबंधी बातें इसे उद्देश्य से रखी गई हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके।

इस पत्रिका के माध्यम से मैं मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय (मुख्यालय) तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करता हूँ कि अपने कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देकर इसे कार्यालय के कामकाज की मुख्य भाषा बनाने का पुरजोर प्रयास करें।

आशा है कि पत्रिका राजभाषा (हिन्दी) को आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगी तथा भविष्य में और अधिक उँचाइयों को छूएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को पुनः बधाई।

रेमिस टिरू, कें.श्र.से.
मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय

श्रमेव जयते भवन, जी 4, सेक्टर 10,
द्वारका, नई दिल्ली - 110075

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि क्षेत्रीय कार्यालय, आसनसोल द्वारा हिंदी पत्रिका 'श्रम सृजन' का प्रथम संस्करण जारी किया जा रहा है। जैसा कि विदित है कि पत्रिका एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा संगठन द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों जैसे कि औद्योगिक विवादों के निपटान, श्रम कानूनों व नियमों के सुचारु प्रवर्तन को सुनिश्चित करने, श्रम कल्याणकारी नीतियों को सुव्यवस्थित ढंग से लागू कराने आदि के बारे में जनमानस को अवगत कराने में मदद मिलेगी। पत्रिका का प्रकाशन होने से संगठन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में लेखन के प्रति रुझान बढ़ेगा जिससे सृजनशीलता को बढ़ावा मिलेगा, हिंदी साहित्य के प्रचार-प्रसार में बढ़ोतरी होगी तथा कार्यालय में अधिकाधिक कार्य हिंदी में किए जाने और राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाए जाने कि ओर यह एक सार्थक प्रयास होगा।

मुझे पूरी आशा है कि इस पत्रिका के माध्यम से संगठन के कामकाज व कार्यशैली के बारे में अधिकाधिक लोग जान पाएंगे तथा साथ ही कार्यालय द्वारा किए जा रहे राजभाषा संबंधी प्रयासों की झलक भी इसमें दिखेगी।

मैं इस पत्रिका की सफलता की कामना करते हुए हृदय से क्षेत्रीय कार्यालय, आसनसोल की पूरी टीम तथा विशेष रूप से आपके हिंदी अनुभाग से जुड़े पदाधिकारियों को बधाई देता हूं।

डॉ. ओंकार शर्मा

अपर मुख्य श्रमायुक्त (कें.), नई दिल्ली

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय

आसनसोल, जिला : पश्चिम बर्धमान

राज्य - पश्चिम बंगाल, पिन–713305

ईमेल : dyclc.asansol-mole@gov.in

संदेश

मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि इस कार्यालय में प्रथम बार हिंदी राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। यह अत्यंत हर्ष तथा गर्व का विषय है कि मेरे एक वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में इस कार्यालय ने हिंदी में काम-काज के नए मापदंडों को छुआ है। जिस प्रकार से इस कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विगत वर्ष में हिंदी में कार्य किया है उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। कार्यालय को नराकास स्तर पर अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं मुख्य श्रमायुक्त (कें.) दिल्ली का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके अधिकारी एवं उनकी टीम के सतत मार्गदर्शन से हिंदी के काम-काज में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मेरा हार्दिक अभिनंदन श्री सी एन पाठक, राजभाषा अधिकारी व सहायक सचिव, बर्नपुर-आसनसोल नराकास एवं श्री दीपक साव, हिंदी प्राध्यापक हिंदी शिक्षण योजना आसनसोल केंद्र को भी है जिनके मार्गदर्शन के बिना इस पत्रिका का प्रकाशन संभव नहीं था। अंत में पत्रिका के संपादक मंडल एवं हिंदी अधिकारी को भी उनके अथक परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ। पुनश्च सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मेरा अभिनंदन, प्यार एवं शुभकामनाएं।

श्रमेव जयते।

विनय कुमार त्रिवेदी

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) आसनसोल

बर्नपुर-आसनसोल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

कार्यालय : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस्को इस्पात संयंत्र,
निदेशक प्रभारी, 7, दि रिज, बर्नपुर - 713325

सत्यमेव जयते

संदेश

यह जानकार मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय), आसनसोल कार्यालय की पत्रिका 'श्रम सृजन' के प्रवेशांक का प्रकाशन किया जा रहा है।

हृदय से हम आप सभी को शुभकामनाएँ देते हैं कि आप प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपनी क्षमताओं तथा प्रतिभा का समुचित प्रयोग कर राजभाषा को लाभान्वित करते रहें। मेरा यह विश्वास है कि इस पत्रिका के प्रकाशन से सिर्फ आपका कार्यालय ही नहीं अपितु बर्नपुर-आसनसोल नराकास के सभी सदस्य कार्यालय भी लाभान्वित होंगे।

मैं पत्रिका 'श्रम सृजन' के प्रकाशन की सफल कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस प्रकाशन कार्य को भविष्य में भी जारी रखा जाएगा।

शुभकामनाओं सहित .....

सेल SAIL

बृजेन्द्र प्रताप सिंह
निदेशक प्रभारी (बर्नपुर एवं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र)/
अध्यक्ष, बर्नपुर-आसनसोल नराकास

सत्यमेव जयते

बर्नपुर-आसनसोल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

कार्यालय : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस्को इस्पात संयंत्र,
निदेशक प्रभारी, 7, दि रिज, बर्नपुर - 713325

संदेश

मुझे, उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय),आसनसोल कार्यालय की पत्रिका '**श्रम सृजन**' के प्रथम अंक के प्रकाशन पर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। संघ की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के प्रति उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय), आसनसोल कार्यालय पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और राजभाषा हिन्दी का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कार्यालयी कार्य राजभाषा हिन्दी में करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित भी करता है, इस पत्रिका का प्रकाशन भी इस कड़ी का एक हिस्सा है। इस पत्रिका के प्रकाशन से बर्नपुर-आसनसोल नराकास के अन्य सदस्य कार्यालयों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मैं आशा करती हूँ कि पत्रिका की स्तरीयता बनी रहेगी। पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादक मंडल, प्रकाशन में सहयोगी सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मेरी शुभकामनाएँ।

हार्दिक शुभकामनाएँ।

सेल SAIL

सुष्मिता राय
मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन)
संयुक्त सचिव, बर्नपुर-आसनसोल नराकास

भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय

मुख्यालय, श्रमेव जयते भवन, नई दिल्ली - 110075

दूरभाष सं. : 011-23473347

ईमेल : harishchander.67@gov.in

संदेश

विचारों के विशालकाय सागर के मंथन से निकले मंतव्य का संकलित रूप ही पत्रिका है और यदि वह श्रम संबंधी मामलों से संबंधित हो तथा अपनी जनभाषा में हो तो इसका क्या कहना।

मेरे लिए यह हर्ष का विषय है कि उपमुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय, आसनसोल द्वारा फरवरी 2024 में प्रकाशित होने वाली प्रथम राजभाषा पत्रिका हेतु सर्वप्रथम मुख्यालय की ओर से तथा मेरी तरफ से हार्दिक बधाई । यह आपका एक सराहनीय, प्रेरणादायक और दूरदर्शी कदम है। यह राजभाषा के प्रति आपके प्रेम और सम्मान को दर्शाता है। आशा करता हूँ कि दिनांक 07.12.2023 को प्राप्त आपकी ई-मेल के माध्यम से जब यह सूचना मिली कि फरवरी 2024 में आपके सहयोग, मार्गदर्शन और प्रेरणा से प्रथम राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन होने वाला है, तो हम सबके लिए यह गौरव का क्षण है। मेरा मत यह है कि यह श्रमिकों के लिए अपनी निज भाषा में उनके विभिन्न क्रिया-कलापों से अवगत करवाने वाली एक पत्रिका होगी-आपका भावी प्रकाशन इस दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। कहते हैं कि "बूंद-बूंद से ही घड़ा भरता है।

यह एक सराहनीय प्रयास है और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपकी आगामी एवं भावी पत्रिका हमारे और आपके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भी सरकारी कामकाज में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन और प्रेरणा का कार्य करेगी।

शुभकामनाओं सहित।

हरीश चंद्र केरापा, सी.एस.ओ.एल.

उप निदेशक (राजभाषा)

सत्यमेव जयते

बर्नपुर-आसनसोल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

कार्यालय : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस्को इस्पात संयंत्र,
निदेशक प्रभारी, 7, दि रिज, बर्नपुर - 713325

संदेश

मुझे यह जानकार अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 'उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)', आसनसोल कार्यालय अपनी राजभाषा पत्रिका 'श्रम सृजन' के प्रथम अंक का प्रकाशन करने जा रही है।

किसी संस्थान की पत्रिका "अपने-आप में एक छोटा संसार है जहाँ आपकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता, कला और अभिव्यक्ति को न केवल विस्तार मिलता है, बल्कि इसके माध्यम से आपको भी एक नई पहचान मिलती है।"

आशा है यह पत्रिका कार्यालय में कार्मिकों में हिंदी कार्यों के प्रति रुचि पैदा करेगी और संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में मदद करेगी।

पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य एवं सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

सेल SAIL

सी. एन. पाठक
राजभाषा अधिकारी व सहायक सचिव
बर्नपुर-आसनसोल नराकास

महिलायें एवं श्रम कानून

विनय कुमार त्रिवेदी,
उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) आसनसोल

यह लेख भारतवर्ष के उन महिला कामगारों को समर्पित है जिनके अथक योगदान से पूरे राष्ट्र की औद्योगिक उन्नति संभव हुई है। भारत के श्रमबल में महिलाओं की अभिन्न भागीदारी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़े के अनुसार महिला श्रमिक पुरुष श्रमिक के लगभग बराबर है। यद्यपि श्रम कानूनों में सभी श्रमिकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा शर्तों का ध्यान रखा गया है तथापि महिला श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए जो विशेष उपबंध/ प्रावधान उपलब्ध है, उनका विवरण इस लेख में दिया गया है जो इस आधी आबादी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा:-

1. कारखाना अधिनियम, 1948 :

- 30 से अधिक महिला कामगारों को नियोजित करने वाले हर कारखाने में शिशुगृह का प्रावधान किया गया है।
- प्रातः 6.00 बजे से सायं 7.00 बजे के बीच की अवधि को छोड़कर कारखाने में महिलाओं के नियोजन की अनुमति नहीं है।
- खतरनाक विनिर्माण प्रक्रिया अथवा कार्यों वाले कतिपय कारखानों में भी महिलाओं के नियोजन की अनुमति नहीं है।
- किसी भी महिला को गतिमान प्राइम मूवर के किसी भाग की सफाई करने, तेल लगाने या व्यवस्थित करने की अनुमति नहीं होगी।
- कारखाने के किसी भी भाग में महिलाओं को नियोजित नहीं किया जायेगा जिसमे कॉटन प्रोसेसिंग के लिए कॉटन ओपनर चलाया जाता हो।

2. खान अधिनियम, 1952 :

- भूमिगत खानों में महिलाओं का नियोजन प्रतिषिद्ध किया गया है।
- भूमि पर स्थित किसी भी खान में महिला कामगारों के लिए प्रातः 6 बजे से सायं 7 बजे के बीच ही कार्य करने की अनुमति है।
- केंद्रीय सरकार किसी खान या खान के किसी वर्ग या विवरण के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा भूमि पर महिलाओं के नियोजन के घंटो में परिवर्तन कर सकती है। तथापि, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच महिलाओं के किसी भी नियोजन की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, भूमि स्थित खानों में काम करने वाली महिलाओं के विश्राम की अवधि किसी भी दिन रोजगार की समाप्ति और रोजगार की अगली अवधि के आरम्भ होने के बीच ग्यारह घंटे से कम नहीं होनी चाहिए।

- महिला कामगारों के लिए अलग से शौचालय एवं धुलाई सुविधाओं का प्रावधान भी अधिनियम का भाग है।

3. **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 :**

- 80 कार्य दिवस पुरे होने पर 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश/लाभ दिए जाने का प्रावधान है।
- महिला कामगार के प्रसव पश्चात काम पर आने पर विश्रामार्थ अनुज्ञात अंतराल के अतिरिक्त दो विराम शिशु के पोषण के लिए तब तक अनुज्ञात होंगे जब तक कि वह शिशु 15 मास की आयु पूरी न कर ले।
- महिला श्रमिक के गर्भावस्था के कारण काम से अनुपस्थित रहने पर उसके नियोक्ता द्वारा पदच्युत करना या इसकी सूचना देना विधिविरुद्ध होगा।
- प्रसव या गर्भपात के तुरंत बाद से 6 सप्ताह तक कोई काम न करना। प्रत्याशित प्रसव से 6 सप्ताह की अवधि के पूर्व की 1 माह तक की अवधि में कोई कठिन कार्य या अधिक देर तक खड़े रहने का कार्य न लिया जाये जिससे गर्भपात या भ्रूण के सामान्य विकास पर प्रभाव पड़ने या गर्भपात होने पर स्वास्थ्य पर असर पड़ने की सम्भावना हो।
- यदि प्रसव से पहले और प्रसव के बाद निःशुल्क देख-रेख नहीं की जाती है तो 3500/- रूपये का चिकित्सा बोनस दिया जाए।

4. **ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 :**

- ठेका श्रमिकों के रूप में सामान्यतः 20 या इससे अधिक महिलाओं के नियोजन वाले स्थान पर शिशुगृहों का प्रावधान है।
- किसी ठेकेदार द्वारा महिला श्रमिक से प्रातः 6 बजे से सायं 7 बजे तक के बीच ही काम लिया जायेगा । इसमें अस्पताल एवं डिस्पेंसरी में काम करने वाली दाई तथा नर्सें शामिल नहीं हैं।

5. **समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976:**

- एक ही कार्य या एक ही प्रकार के कार्य के लिए महिला कामगार को पुरुष कामगार से कम पारिश्रमिक नहीं दिए जाने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है।
- भर्ती या सेवा शर्तों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा सिवाय इसके कि किसी कानून के तहत अथवा अंतर्गत महिलाओं का नियोजन प्रतिषिद्ध या प्रतिबंधित किया गया हो।

6. **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 :**

- भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों में एक महिला सदस्य का प्रतिनिधित्व का प्रावधान है।
- कल्याण निधि की महिला हितलाभार्थियों को प्रसूति लाभ का प्रावधान है।
- जहाँ 50 से अधिक महिला निर्माण कामगार सामान्यतः नियोजित हैं वहाँ शिशुगृहों की व्यवस्था का प्रावधान है।

7. **औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 :**

- महिला कामगारों के कार्य-स्थलों पर यौन-शोषण के विरुद्ध सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान करना।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय औद्योगिक श्रम संबंध मशीनरी (सी.आई.आर.एम.) इन अधिनियमों को प्रवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। यह मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है और मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन के रूप में भी जाना जाता है।

उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) आसनसोल का कार्यालय इसी मशीनरी के अंतर्गत आता है तथा भौगोलिक स्थिति अनुसार बांकुरा, बीरभूम, पुरुलिया, पूर्व बर्दवान, पश्चिम बर्दवान जिला इसके क्षेत्राधिकार में आता है। इसके अंतर्गत एक कार्यालय प्रमुख उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) होता है जिनके अधीन एक क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केंद्रीय), दो सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय) तथा 08 श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) जो विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित हैं।

यह कार्यालय इन जिलों के उन प्रतिष्ठानों में, जिनमे केंद्रीय सरकार समुचित सरकार है, श्रम कानूनों का प्रतिपालन एवं प्रवर्तन सुनिश्चित करती है तथा औद्योगिक विवादों का कानून में दी गयी निहित शक्तियों के द्वारा निपटारा करती है। इस प्रकार महिला श्रमिकों के उन सभी हितों का संरक्षण करती है जो श्रम कानून द्वारा प्रदत्त है।

श्रमेव जयते

औद्योगिक विवादों का निपटान

सहायक श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय, दुर्गापुर 24 अक्टूबर 1977 को सीयरसोल राजबारी, रानीगंज, दुर्गापुर में स्थापित हुआ। वर्ष 2001 में यह कार्यालय रानीगंज एम.ए.एम.सी. भवन, दुर्गापुर स्थानांतरित हुआ। इसके बाद यह कार्यालय वर्ष 2010 में यह 13 रानाप्रताप स्ट्रीट, दुर्गापुर - 713204 में स्थानांतरित हुआ। इस कार्यालय के अन्तर्गत मेसर्स ईस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड के काजोरा, बांकोला, पांडेश्वर, केंदा, झांझरा, सोनपुर बाजारी क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा दुर्गापुर स्टील प्लांट (दुर्गापुर), एलॉय स्टील प्लांट (दुर्गापुर), दुर्गापुर सीमेंट, डी.वी.सी.(पावर प्लांट) : DSTPS एवं DTPS, IOCL बोटलिंग प्लांट, दुर्गापुर, राजबांध, अल्ट्राटेक सीमेंट, नुवोको सीमेंट, एफ.सी.आई, सिउड़ी, दुर्गापुर, बर्धमान शामिल है।

जनवरी, 2023 से नबम्बर 2023 तक कुल 05 औधोगिक विवादों के मामले का निपटान किया गया :-

I. वेतन संशोधन पर दुर्गापुर सीमेंट (बिरला कॉरपोरेशन की इकाई) के 112 स्थायी कर्मचारियों का निपटारा किया गया। (02 मामले)

II. M/S S एवं IB सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड में एक ठेका मज़दूर श्री संकाश चक्रवर्ती की फिर से बहाली करवायी गई। (01 मामला)

III. FSNL के 81 गैर कार्यकारी कर्मचारियों का वेतन संशोधन करवाया गया तथा उन्हें 5.57 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। (01 मामला)

IV. एक संविदा कर्मचारी श्री साम्स अजहर को IOCL बोटिंग प्लांट, दुर्गापुर के तहत मेसर्स उरसा कंस्ट्रक्शन में दोबारा बहाल किया गया। (01 मामला)

दुर्गापुर स्टील प्लांट की श्रीमती साबरा खातुन की शिकायत पर उन्हें 7,47,600/- रुपए का भुगतान कर मामले का निपटान किया गया। 1,69,75,723/- रुपए के ग्रेच्युटी का भुगतान करवाकर 27 कर्मचारियों को लाभांवित किया गया।

जगविंदर सिंह,
सहायक श्रमायुक्त (कें.), दुर्गापुर

बालश्रम समस्या

बालश्रम हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। आज समय आ गया है कि हमें इस विषय पर बात करने के साथ-साथ अपनी नैतिक जिम्मेदारियां भी समझनी होगी। बाल-मज़दूरी को जड़ से उखाड़ फेंकना हमारे देश के लिए एक चुनौती बन चुकी है क्योंकि बच्चों के माता-पिता ही बच्चों से कार्य करवाने लगे हैं। बालश्रम भारत के साथ-साथ सभी देशों में गैर-कानूनी है। बालश्रम हमारे समाज के लिए कलंक बन चुका है। बाल मज़दूरी की समस्या समय के साथ-साथ बहुत उग्र रूप लेती जा रही है। इस समस्या को अगर समय रहते जड़ से मिटाया नहीं गया, तो इससे पूरे देश का भविष्य संकट में आ सकता है। बालश्रम पूर्ण रूप से गैर-कानूनी है। इस प्रकार की मज़दूरी को समाज में हर वर्ग द्वारा निंदित भी किया जाता है। भारत के संविधान 1950 के 24वें अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों से मज़दूरी करवाना, होटलों, ढ़ाबों, घरेलू नौकर इत्यादि के रूप में कार्य करवाना बालश्रम के अंतर्गत आता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है, तो उसके लिए उचित दंड का प्रावधान है। बाल मज़दूरी का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में गरीबी का होना है। शिक्षा के अभाव के कारण, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। ज्यादात्तर गरीब परिवार के बच्चे पढ़-लिख नहीं पाते हैं, इसी कारण वे अच्छी नौकरी नहीं कर पाते इसलिए देश के विकास में सहयोग नहीं कर पाते हैं जिससे देश का आर्थिक विकास धीमा पड़ जाता है। बालश्रम को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। बालश्रम का अंत करने के लिए सबसे पहले अपने घरों या दफ्तरों में किसी भी बच्चे को काम पर नहीं रखना चाहिए। बालश्रम को रोकने के लिए मजबूत और कड़े कानून बनाने चाहिए। जिससे कोई भी बाल मज़दूरी करवाने से डरे। सरकार देश को बालश्रम से पूर्णत: मुक्त करवाने के लिए अनेक कानून बनाती आई है। लेकिन जब तक हम और आप उन कानूनों का सही ढंग से अनुसरण नहीं करेंगे तब तक देश को बाल श्रम से पूरी तरह मुक्त कराना संभव नहीं है। सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ कानून जैसे :-

i) बालश्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 - बालश्रम को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार द्वारा 1986 में बालश्रम अधिनियम बनाया गया जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कार्य करवाना दंडनीय अपराध माना जाएगा।

ii) किशोर न्याय (बाल अधिनियम 2000 का देखभाल और संरक्षण) - इस कानून के तहत अगर कोर्ट व्यक्ति बच्चों से मज़दूरी करवाता है या फिर उन्हें ऐसा करने के लिए मज़बूर करता है तो उसपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

iii) बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 - यह कानून वर्ष 2009 में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी, साथ ही प्राइवेट स्कूलों में भी गरीब और विकलांग बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी।

बाल मज़दूरी हमारे देश के लिए एक गंभीर समस्या है, अगर जल्द ही इसे खत्म नहीं किया गया तो यह हमारे देश के विकास में बाधक सिद्ध होगा। बालश्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है। अगर हमें नए भारत का निर्माण करना है तो बाल मज़दूरी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा यह सिर्फ हमारे और सरकार के सहयोग से ही संभव है।

मनोज प्रसाद
उच्च वर्गीय लिपिक, आसनसोल

आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।

• महावीर प्रसाद द्विवेदी

यात्रा वृतान्त

मै अपने जीवन में सपरिवार भ्रमण के लिए पहली बार कार्यालय से अखिल भारतीय अवकाश यात्रा रियायत लेकर दिल्ली, आगरा, हरिद्वार, मथुरा और वृंदावन गया। यह यात्रा मेरे जीवन के अविस्मरणीय क्षणों को जीने का एक मौका रहा। हम सभी आसनसोल, पश्चिम बंगाल से दिल्ली गए। माना जाता है कि घुमने का मज़ा ठंड में ज्यादा आता है, इसलिए हमने अपने भ्रमण के लिए नवम्बर के महीने को चुना जब ठंड का आगमन शुरू हो जाता है। हम सभी 24 नवम्बर, 2023 को आसनसोल स्टेशन से दिल्ली के लिए रेल की रानी राजधानी एक्सप्रेस से रवाना हुए और 25 नवम्बर 2023 को दिल्ली पहुंचे। हम दिल्ली के सभी दर्शनीय स्थलों जैसे लालकिला, इंडिया गेट, लोटस टैंपल, अक्षर धाम घुमे। वहां से हम सभी ने मथुरा और वृंदावन जाकर बांके बिहारी और राधा-रानी के दर्शन लाभ का मन बनाया। मथुरा और वृंदावन में हमने प्रेम मंदिर, कृष्ण जन्म भूमि द्वारकाधीश मंदिर, बरसाना और गोवर्धन पर्वत के दर्शन किए। इसके बाद फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और रेड फोर्ट देखने हम आगरा पहुंचे। भ्रमण का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहा और हमारा अगला पड़ाव रहा हरिद्वार जहां की हरकीपौड़ी घाट पर गंगा स्नान करके हम धन्य हो गए। वहीं कुछ दूरी पर मनसा मां मंदिर के दर्शन कर हम वापस दिल्ली आ गए। उन अविस्मरणीय पलों को सदा के लिए अपने दिल के एलबम में उतारकर हम 11 दिसम्बर को हम वापस दिल्ली से आसनसोल आए। पता नहीं फिर कब सपरिवार ऐसी यात्रा पर जा पाउं। वे क्षण वास्तव में अनमोल हैं।

मनोज कुमार

कार्यालय अधीक्षक, आसनसोल

घर और बगीचा

सबसे पहले साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि वे कुछ लिखने का अवसर दिए हैं। मेरा तो हिंदी में ज्यादा ज्ञान नहीं है। फिर भी मै बहुत उत्साहित होके दो-चार लाइन लिखने का प्रयास कर रही हूं।

मेरे लिए हमारा घर ही सबकुछ है। हमारे घर में मै, मेरे पति और बेटा और हम तीनों रहते हैं। हम तीनों को छोड़के हमारे घर में और भी बहुत अलग-अलग किस्म के प्राणी रहते हैं, वो है रंग-बिरंगे फूल और जो बोल नहीं पाते हैं लेकिन हमें ढ़ेर सारी खुशियां देते हैं।

सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि पौधा लगाना जरूरी है। पेड़ हमें प्राणवायु और आनंद देते हैं। हमारी प्रकृति मां को सुंदर और हरा-भरा बनाए रखने का दायित्व हम सबका है।

मेरा मन जब भी भारी हो जाता है, मै फूलों और पौधो की सेवा में लग जाती हूं और तुरंत ही मानो मेरा मन फूलों की तरह खिल जाता है। मुझसे भी ज्यादा मेरे पति इन पौधों का ध्यान रखते हैं। हम सभी सुबह उठते ही इन फूलों और पौधों को देखकर ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और जब हम दोनों पति-पत्नी मिलकर अपने बागीचे की सेवा करते हैं तो हमारी खुशियां दुगुनी हो जाती है। पेड़ न केवल हमें आक्सीजन देते हैं बल्कि हमारे मन को शांति से भर देते हैं। पेड़-पौधे हमारे जीवन के साथी-संगी बन चुके हैं।

चंदना मण्डल
पत्नी : श्री बुद्धदेव मण्डल,
एम.टी.एस., आसनसोल

कार्यालयीन हिंदी प्रशिक्षण

दीपक साव,
हिंदी प्राध्यापक
हिंदी शिक्षण योजना, आसनसोल केंद्र

14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष इस दिन अखिल भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान की धारा 343 में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा,अंग्रेजी को सह राजभाषा एवं 0,1,2,3,4 को भारतीय अंकों का अंतराष्ट्रीय रूप माना गया है। राजभाषा से तात्पर्य संघ के राज-काज की भाषा है। संविधान की धारा 343 के खंड (2) में अंग्रेजी को संविधान के लागू होने के पश्चात केवल 15 वर्षों के लिए ही मान्यता दी गई थी। संविधान की अन्य धाराएँ यथा 120 एवं 310 एवं 343 से 351 तक में संघ के दोनों सदनों एवं विधान मंडल की भाषा एवं राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के बारें में विस्तृत व्याख्या की गई है।

संवैधानिक उपबंधों के अनुपालन में केंद्रीय सरकार के हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य सर्वप्रथम शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई,1952 में प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्री को संबोधित 12 जून, 1955 के पत्र में दिए गए सुझावों पर कार्रवाई के अनुसरण में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य गृह मंत्रालय को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार अक्तूबर, 1955 से गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कार्यालय समय में हिंदी कक्षाएँ चलाई जा रही हैं।

सन 1960 में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया। सन 1974 से केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा उसके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार के स्वामीत्व अथवा नियंत्रणाधीन निगमों, निकायों, कंपनियों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी भाषा,हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त अनिवार्य कर दिया गया।

सन 1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना हुई और हिंदी शिक्षण योजना को राजभाषा विभाग के अधीन कर दिया गया। हिंदी शिक्षण योजना के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै एवं गुवाहाटी में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णकालिक केंद्रों के साथ-साथ अंशकालिक केंद्रों पर भी संचालित किए जा रहे हैं। हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन (वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार,एकमुश्त पुरस्कार आदि)

1. **वैयक्तिक वेतन** : हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(क) **प्रबोध परीक्षा** : जिन अधिकारियों की मातृभाषा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मिजो, मणिपुरी या अंग्रेजी है और जो हिंदी भाषा के प्राइमरी स्तर का ज्ञान न रखते हों, वे प्रबोध पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं। व्यक्तिक वेतन केवल उन्हीं अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है और जो इस परीक्षा को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण करते हैं। राजपत्रित अधिकारियों को प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाता है।

[का0ज्ञा0 सं0-12014/2/76-रा0भा0 (डी.)दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(3)]

(ख) **प्रवीण परीक्षा** : जो अधिकारी/कर्मचारी प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों तथा जिनकी मातृभाषा ओडिया, बंगला, असमियां, मैथिली, मराठी, गुजराती, नेपाली या सिंधी है और जो हिंदी भाषा के मिडिल स्तर का ज्ञान न रखते हों, वे प्रवीण पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं। वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रवीण पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारितकिया गया है

i. अराजपत्रित कर्मचारियों को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।
ii. राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

[(का0ज्ञा0सं012014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(2)]

(ग) **प्राज्ञ परीक्षा** : जो अधिकारी / कर्मचारी प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों तथा जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी या पश्तो है और जो हिंदी भाषा के मैट्रिकुलेशन स्तर का ज्ञान न रखते हों, वे प्राज्ञ पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं। वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों (राजपत्रित / अराजपत्रित) को प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिया जाता है। जिनके लिए यह पाठयक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है।

i. अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्तीर्णांक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।
ii. राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

[(का0ज्ञा0सं0- 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(1) तथा
का0ज्ञा0सं0- 12014/ 1/78-रा०भा०(डी.) दिनांक 14.2.1979)]

(घ) **पारंगत पाठ्यक्रम :** केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबंद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों केन्द्र सरकार के स्वामीत्व तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामीत्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सावंधिक निकायों/ उद्यमों/ अभिकरणों/ निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक पारंगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। पारंगत परीक्षा पास करनें पर अंकों के आधार पर क्रमशः 10000/-, 7000/- एवं 4000/- रूपए नकद राशि दिए जाने का प्रावधान है।

(ङ) **हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण :** हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि के बराबर 12 महीने की अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सहायक, अनुवादक, प्रवर श्रेणी लिपिक तथा प्रवर लेखा परीक्षक, जिनके लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है पर उपयोगी है, को अवर श्रेणी लिपिकों की भांति ही उक्त वित्तीय प्रोत्साहन तथा अन्य सुविधाएँ इस संबंध में जारी की गई विभिन्न शर्तों के अधीन दी जाती हैं।

[(का0ज्ञा0सं0 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(4)] तथा
(का0ज्ञा0सं0-12016/2/78-रा0भा0(डी.) दिनांक 10.1.1979 क्रमसंख्या-92)]

(च) हिंदी आशुलिपि :

i. अराजपत्रित आशुलिपिकों को 70 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि, जो आगामी वेतन वृद्धि में मिल जाती है, के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

ii. राजपत्रित आशुलिपिकों को 75 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

जिन आशुलिपिकों (राजपत्रित एव अराजपत्रित दोनों) की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। ये वेतन वृद्धियां भावी वेतन वृद्धियों में मिलाई जाएँगी। ऐसे कर्मचारी पहले वर्ष दो वेतन वृद्धियों के बराबर और दूसरे वर्ष पहली वेतन वृद्धि को मिला दिए जाने पर केवल एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर सकते हैं।

[का0ज्ञा0सं0-12014/2/76/रा0भा0(डी.) दिनांक 2.09.1976)
(का0ज्ञा0सं0-21034/08/2017/रा0भा0(प्रशि) दिनांक 26.07.2017]

टिप्पणी : जिस कर्मचारी को सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण से छूट मिली हुई हो उस कर्मचारी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/प्रोत्साहन नहीं मिलेंगे।

2. **नकद पुरस्कार** : हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने पर पात्रता के अनुसार निम्नलिखित नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी वर्तमान दरें निम्नानुसार हैं -

i) प्रबोध :

1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	1600/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	400/-

ii) प्रवीण :

1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	1800/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1200/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	600/-

iii) प्राज्ञ :

1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-

iv) हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण

1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/-
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/-
3.	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-

v) हिंदी आशुलिपिक

1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/-
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/-
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-

[का0ज्ञा0सं0-12014/2/76/रा0भा0(डी.) दिनांक 2.09.1976)
(का0ज्ञा0सं0-21034/08/2017/रा0भा0(प्रशि) दिनांक 26.07.2017]

टिप्पणी : जिस कर्मचारी को सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण से छूट मिली हुई हो उस कर्मचारी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/प्रोत्साहन नहीं मिलेंगे।

vi) निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदीभाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर एकमुश्त पुरस्कार

1.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	1600/-
2.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	1500/-
3.	हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	2400/-
4.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण परीक्षा	1600/-
5.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा	3000/-

(का0ज्ञा0सं0- 21034/66/10-रा0भा0 (प्रशि) दिनांक 29.7.2011)

टिप्पणी:

क) जिन कर्मचारियों को हिंदी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है उन्हें संबंधित स्तर की हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद एवं एकमुश्त पुरस्कार देय नहीं होंगे।

ख) एकमुश्त पुरस्कार प्रचालन कर्मचारियों के अतिरिक्त केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा।

हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।

• डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

श्रम शिकायतों का निराकरण

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय आसनसोल श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अंतर्गत आता है तथा श्रम कल्याण से संबंधित विभिन्न मामलों को देखता है। वर्ष 2023-24 के दौरान नौ (09) विवादों का निपटान कामगारों के हित में किया गया और उन्हें राहत मिली। इसके अलावा हमारे कार्यालय में शिकायत निवारण शाखा भी है और वर्ष 2023 में इस कार्यालय के हस्तक्षेप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के उन्नचास (49) शिकायतों का निपटान कामगारों/कर्मचारियों के हित में किया गया। इसके अलावा प्रबंधन के अत्यधिक प्रयत्नों द्वारा CGIT आसनसोल के दस (10) अवाईस को कार्यांवित किया गया तथा कर्मचारी/कामगारों को राहत मिली। इसके अलावा MW, PW तथा PG अधिनियम के अंतर्गत हमारे कार्यालय ने प्राधिकारी के रूप में कुल 136 दावा मामलों का निपटारा किया तथा संबंधित कामगारों को राहत मिली। साथ ही एक निरीक्षक ने निरीक्षण के दौरान 1171 श्रमिकों के 5,95,22,452/- रुपए के कम भुगतान को सीधे उनके खाते में भुगतान करवाया और वे सभी इस कार्यालय के कार्यों से प्रसन्न हुए।

जय प्रकाश चटर्जी,
आशुलिपिक, आसनसोल

राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।

• **महात्मा गांधी**

सूक्तियाँ

उठो, जागो और तब तक नहीं रुको, जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए।

 स्वामी विवेकानंद

सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते।

 रवीन्द्रनाथ ठाकुर

ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती है, यह अदम्य इच्छाशक्ति से आती है।

 महात्मा गांधी

"हमारा कार्य केवल कर्म करना हैं, कर्म ही हमारा कर्त्तव्य है, फल देने वाला स्वामी ऊपर वाला है।"

 नेताजी सुभाष चंद्र बोस

संकलनकर्ता :

मानस कुमार चट्टोपाध्याय,

उच्च वर्गीय लिपिक, आसनसोल

हिंदी की प्रेरक उक्तियाँ

भारत में हर भाषा का सम्मान है, पर हिंदी ईश्वर का वरदान है।

हम भारतीय सभी भाषाओं का करते हैं सम्मान, पर हिंदी ही है हमारी पहचान।

ऊंचाई के शिखर पर हिंदी को पहुंचाओ, हिंदी की पहचान पूरी दुनिया में बनाओ।

भारत माता के माथे पर बिंदी का जो है स्थान, वहीं है हिंदी का सभी भाषाओं में स्थान।

संकलनकर्ता :

राकेश कुमार पासवान,

निम्न वर्गीय लिपिक, आसनसोल

भूख

डॉ. ओंकार शर्मा "परिमल"
अपर मुख्य श्रमायुक्त (कें.),
नई दिल्ली

सड़क के चौराहे पर अधलेटे
बूढ़े रिक्शे वाले से जब पूछा
बड़े बाजार तक चलोगे
पहले वह खांसा
जोर लगा कर कफ थूका
पहले जमीन फिर घुटनों पर
हाथ का सहारा ले
खड़े होकर बोला
जरूर चलूंगा बाबूजी
उसके बीमार बूढ़े शरीर को देख
मैं पूछ बैठा
इस दशा में
रिक्शा खींच पाओगे
यह सुन उसके चेहरे पर
दर्द उभर आया
और कफ से खड़खड़ाती आवाज आई
बाबूजी, मैं तो महज
हाथों से हैंडल पकड़
पैरों से पैडल घुमाता हूं
रिक्शा तो मेरी 'भूख' खींचती है।

शुभकामना

फूले - फले प्रेम की क्यारी
खुशियां आएँ नित न्यारी-न्यारी

होली से हर दिवस आपके
दीवाली हों रातें सारी

विगत वर्ष का मिटे प्रदूषण
दिग-दिगंत परिमल महकाये

सत-चित-आनन्द हो यह जीवन
नया वर्ष कुछ ऐसा आये

हों नक्षत्र नव वर्ष के निर्मल
यही कामना करता "परिमल"

वीर जवान

डॉ. शिशिर कुमार सेठी
श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.),
दुर्गापुर

हर रोज़ राह देखती थी वह माँ,
दिलासा जिसे वापस लौट के आने का दिया था।
सुनकर जग का समाचार,
खामोशी छा गई उसके चेहरे पर।
नींद उड़ सी गई थी उसकी,
कैसा होगा वह इसकी चिंता में।
धड़कन थम सी गई थी उसकी,
जब आँखों के सामने तिरंगे से लिपटा,
उसका लाल पड़ा था।

गोलियों से छलनी कर दिया दुश्मनों के सीने को,
फक्र होगा तुझे मुझपर, घुटनों के बल गिराकर आया हूँ।
हमारी माँ को आँख उठाकर देखने वालों को,
ख़ून के आँसू रूलाकर आया हूँ।
मेरी कुर्बानी पर शोक न करना माँ,
दुश्मनों के सीने में मै खौफ़ जगाकर आया हूँ।

कर्मभूमि

प्रतिमा साव
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
उप मुख्य श्रमायुक्त (कें) कार्यालय,
आसनसोल

पाया है तूने ज्ञान का वरदान जो,
कर प्रशस्त राह तू बढ़, मंज़िल है पुकारती।
युक्ति, ज्ञान और मनोबल से,
बढ़ते चल सदा आगे तू।
कर्मभूमि के डगर पर है चुनौतियां,
सामना जो कर सके तो अकेला चल तू।
जो है अंधेरे घने तो,
कर रौशन ख़ुद को दीए सा जल तू।
न है थका न ही रूकेगा,
मुश्किलों से लड़कर ही बनेगा मुक्कमल तू।
कर्मभूमि है पुकारती तू चल,
अकेला ही चला चल तू ।।

संपादक मंडल

कुर्सी पर बैठे हुए क्रम से मध्य में उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) आसनसोल श्री विनय कुमार त्रिवेदी है जो श्रम सृजन पत्रिका के मुख्य संरक्षक एवं संपादक है। उनके बाएँ में वोनमी होरम, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) एवं उनके दाएँ में श्री जगविंदर सिंह, सहायक श्रमायुक्त (कें.) है जो पत्रिका के संरक्षक है। खड़े हुए क्रम में बाएँ से पत्रिका के सह-संपादक श्रीमती प्रतिमा साव तथा संपादकीय सहयोगी श्री दिनेश कुमार एवं श्री आशीष पटेल है।

मानव जीवन की विभीषिका

दिल में उठा है जो तेज तूफ़ान,
न चैन, न राहत, दौड़ रहे हैं हज़ारों प्राण।
चल रहा है युद्ध आरंभिक काल से,
मनुष्य के सपने कुछ हुए चूर, तो कुछ हुए साकार हैं।
थोड़ी सी हंसी, थोड़ा सा रोना, है बहुत कष्ट,
यही तो है हमारे जीवन का हाल।
ज्ञान-समृद्धि-मूल्य है सभी मनुष्य की इच्छा,
इतनी इच्छा क्या है, गंभीर अपराध?
आग की लपटे उड़ चली है,
चारो ओर बम की तीव्रता से
सब कुछ जलाकर हुआ राख।
कितने बच्चे-बूढ़े मर गए हैं
यह युद्ध मनुष्य के जीवन में लाता है विनाश,
अंत में हम सभी होंगे पंचतत्व में विलीन
बस इतनी सी बात से हम मुर्ख है अंजान।

उदिता माजी
पुत्री: श्रीमती चिनमयी माजी
उच्च वर्गीय लिपिक, आसनसोल

सुरंग में फंसी 41 जाने

सुरंग से निकल आया
17 दिन के लम्बे संघर्ष के बाद
माँ का बेटा, बच्चों का बाप
और पत्नी का सुहाग

आया जीवन लेकर सेनाओं के प्रयासों के साथ
बच्चों की प्रार्थना तथा माँ के आशीर्वाद के साथ

देशवासियों की दुआ और ईश्वर की इच्छा
से यह कार्य सफल हुआ,
यह देख हर भारतीय का मन हर्षित हुआ
सभी ने शुभकामनाएँ दी वे स्वस्थ रहे खुश रहें
हँसते रहें हँसाते रहें और
उन्नत राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने रहें।

दिनेश कुमार
उच्च वर्गीय लिपिक
उप मुख्य श्रमायुक्त (कें) कार्यालय, आसनसोल

हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।

• सुमित्रानंदन पंत

सोमोएर ओभाव

ऑफिसेर मैगाजीने दिते होबे कोबिता

ताई आमि खाता कोलोम निए कोरि चिंता

की लिखबो, की लिखबो सुदु भेबे जाई

कोबितार भाषा आमि खुजे नाहि पाई

हठात छेले बोले खेते दाओ माँ

देखो कोटा बाजे

कोबिता फेले आमि लेगे जाई काजे

काजेर भीड़े होय ना लेखा कोबिता

भाबते-भाबते सोमोय जाय वृथा

ऑफिसे जमा दाय सोबाई

निजेर लेखा कोबिता

सैर बोले तोमार होयछे लेखा

आमि बोलि होय नि सैर

सोमोय गैछे बृथा।

मिठु माजी
उच्च वर्गीय लिपिक,
आसनसोल

बहुत याद आती है

बचपन की वो यादे,
दोस्तों के संग उड़ाते व पतंग व धागे,
बहुत याद आती है।

दिन भर दोस्तों के संग खेलना,
और खेल में खाना-पीना भूल जाना,
बहुत याद आती है।

पढ़ाई न करने पर पिता की डाँट खाना,
और फिर डर से माँ की आँचल में छिप जाना,
बहुत याद आती है।

रिश्तेदारों के घर आने पर खुशियाँ मनाना,
उनके द्वारा लाए गए मिठाईयों को भाई-बहन संग बाँट कर खाना,
बहुत याद आती है।

दीपावली में सब के संग पटाखे छोड़ना,
और छिपकर मिट्टी के बने घर-कुंडो को पटाखे से तोड़ना,
बहुत याद आती है।

रात में दादी के पास आकर बैठना,
और फिर उनसे परियों की कहानी सुनना,
बहुत याद आती है।
सच में बचपन के वो दिन बहुत याद आती है।

आशीष पटेल
निम्न वर्गीय लिपिक,
उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय, आसनसोल

बड़ा साहब

विनय आपका नाम है
विनयी आपका स्वभाव,
आप आकर मिटा दिए हैं
सब खुशियों का अभाव।

गलती के लिए जब डांटते हैं
तो उड़ जाते हैं होश,
प्रशंसा पाने के बाद
सबका बढ़ जाता है जोश।

आप आएं तो बढ़ गया है
कार्यालय का रौनक,
पुताई के बाद बढ़ जाएगा
इस दफ्तर की चमक।

आ रही है नई गाड़ी
चल रहा है फव्वारा,
तैयार है कॉफ्रेंस हॉल
आप के ही द्वारा।

दिल्ली चले जाएंगें आप
करके सब अच्छा काम,
रह जाएगा इस दफ्तर में
सदा आपका नाम ।।

बुद्धदेव मण्डल
एम.टी.एस., आसनसोल

हालत और हौसला

माना कि अभी दु:खी हो तुम
सुख की कोई गुंजाईश नहीं,
दु:ख भरे इस रेगिस्तान में
खुशियों की कोई नामोनिशां नहीं,
फिर भी मन में विश्वास लिए
चलना है बहुत दूर,
हासिल करने हैं वो सब सपने
हालात हो कितने भी मज़बूर,
बंजर ज़मीन से भी लड़कर जैसे
खिल जाते हैं रेगिस्तानों में फूल,
नदियों की लहरों के आगे जैसे
पत्थर भी बन जाते हैं धूल,
वैसे ही तुम काबिल बनो
निडर बनो हर डर के आगे,
पथ पर बिछे सब बाधा जैसे
पत्थर की एक कंकर लागे,
आकाश सा तुम विशाल बनो
पर्वत जैसे ऊंचे और अटल,
मन को इतना कठिन बना लो
कि भेद सके ना कोई चाल,
मृत्यु तो सबको आएगी इकदिन
फिर भी हँसकर जीवन जीना है,
मृत्यु भी जिसे कभी मार ना सके
जग में ऐसा कुछ कर जाना है।

तीर्थंकर दासगुप्ता,
एम.टी.एस., आसनसोल

बालक

तुम अग्नि की भीषण लपट
जलते हुए अंगार हो,
तुम चंचला की धुति चपल
तीखी प्रखर असिधार हो,
तुम खौलती जलनिधि लहर
गतिमय पवन उनचास हो,
तुम राष्ट्र के इतिहास हो।

तुम क्रांति के आख्यान का
भैरव प्रलय का गान हो,
तुम इन्द्र के दुर्दम्य पवि
तुम चिर अमर बलिदान हो,
तुम कालिका के कोप
पशुपति रुद्र के भूलास हो,
तुम राष्ट्र के इतिहास हो ।।

ललिता कुमारी,
माता - संतोष कुमार
उच्च वर्गीय लिपिक, आसनसोल

भारत देश महान

एशिया महादेश में बसा एक देश है भारत,
उत्तर-पूर्वी दिशा में है जिसके विशाल हिमालय
तीन दिशाओं में जिसके है समुद्र का पानी का शान
सच में यह भारत देश महान।

गंगा जैसी पवित्र का है भारत में उद्‌गम
28 राज्यों और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों का भारत है समागम,
विविधताओं से भरा है देश हमारा तरह-तरह के रहते है लोग यहाँ
फिर भी भारत देता है एकता की अनोखी पहचान
सच में यह भारत देश महान।

उस देश की सेना का कहना ही क्या है
जरूरत पड़ने पर देते है देश के लिए प्राण त्याग
बॉलीवुड है पूरे विश्व पर भारी
शोले और बाहुबली फिल्मों का है अपना अलग ही पहचान
सच में यह भारत देश महान।
खेल-कूद की दुनिया में भारत ने अपना परचम लहराया है
चाँद पर पहुँचकर इसरो ने विज्ञान में झंडा गाड़ा है
एक पृथ्वी एक परिवार, एक भविष्य का नारा भारत ने
जी-20 में देकर बनाया है अपना अलग पहचान
सच में यह भारत देश महान।

गौतम कुमार,
एम.टी.एस.,
रानीगंज, दुर्गापुर

जब हम बच्चे थे

संटु साव,
एम.टी.एस., उखड़ा

जब हम बच्चे थे,
तब मन के कितने सच्चे थे;
न खिलखिलाकर हँसने पर डर था,
न हीं चिल्लाकर रोने पर डर था;
न पिसलकर गिरना कम था,
न हीं दोबारा उठ खड़ा होना कम था;

सैकड़ों बार हम गिरे थे,
तब जाकर चलना सिखा था।

लेकिन अब हम हो गये हैं बड़े,
सच बोलने से हैं कतराते;
खिलखिलाकर हँसने से हैं डरते,
चिल्लाकर रोने से हैं भागते;
नीचे गिरने से हैं घबराते,
उठने का प्रयास नहीं है करते;

इसलिए न कुछ नया सिख हैं पाते,
न हीं कुछ नया कर हैं पाते।

पर हमें इस नजरियें को छोड़ना होगा,
बड़े होने का अहंकार तोड़ना होगा;
वापस उसी बचपने में जाना होगा,
बचपन के उसी जोश को वापस लाना होगा;
अपने मन से गिरने के डर को हटाना होगा,
गिर जाने पर दोबारा उठ खड़ा होना होगा;
तभी जाकर हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे,
खुशहाल होगा हमारा जीवन, हम सफलता की बुलंदियों को चुमेंगे।।

ई-सरल हिंदी वाक्य कोश

क्रम सं. Sr. No.	English Sentence	हिंदी वाक्य
1.	No Prosecution Sanction case is pending for more than three months.	कोई भी अभियोजन स्वीकृति का मामला तीन महीने से अधिक समय से लंबित नहीं है।
2.	The corporation conducts work-shops and seminars on Public Grievances for its officers & staff.	निगम अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए लोक शिकायतों पर कार्यशाला और सेमिनार आयोजित करता है।
3.	Instructions, circulars and other important information are also up-loaded on the website.	निर्देश ,परिपत्र और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी वेबसाईट पर अपलोड की गई है।
4.	Four Zonal Vigilance offices and four Zonal Inquiry Offices (Departmental Offices) are located at Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata.	दिल्ली ,मुंबई ,चेन्नई और कोलकाता में चार आंचलिक सतकर्ता कार्यालय और चार आंचलिक जांच कार्यालय (विभागीय पूछताछ) स्थित है।
5.	All the quarterly suspension re-view meetings have been held in time.	सभी तिमाही निलंबन समीक्षा बैठक समय पर आयोजित की गई है।
6.	3213 property returns have been scrutinized.	3213 संपत्ति रिटर्न की जांच की गई है।
7.	All these were major penalty pro-ceedings.	ये सभी बड़ी जुर्माने की कार्यवाही थी।
8.	30 Disciplinary Proceedings were finalized during the year.	वर्ष की दौरान 30 ,अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को अंतिम रूप दिया गया।
9.	5 cases of Prosecution Sanction were accorded during the year.	वर्ष के दौरान अभियोजन स्वीकृति के पाँच मामलों को मंजूरी दी गई।

ई-सरल हिंदी वाक्य कोश

क्रम सं. Sr. No.	English Sentence	हिंदी वाक्य
10.	About 199 students participated in these activities.	इन गतिविधियों मे करीब 199 छात्रों ने भाग लिया।
11.	Each field office has a full-fledged facilitation centre and is manned by a Public Relation Officer.	प्रत्येक क्षेत्र के कार्यालय में एक पूर्ण सुविधायुक्त सहायता केंद्र होता है जिसे जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है।
12.	Online on internet based portals.	इंटरनेट आधारित पोर्टल्स पर ऑनलाइन।
13.	Non-Transfer of PF Accumulations.	भविष्य निधि संचय का हस्तांतरण ना होना।
14.	Non-Settlement of PF Advance claim.	पीएफ अग्रिम दावे का निपटान न होना।
15.	Claim settled but amount not credited in member's bank account.	दावे का निपटान होने के पश्चात भी राशि का सदस्य के बैंक खाते में न जमा होना।
16.	Quality of grievance handling also counts substantially towards performance appraisal.	प्रदर्शन मूल्यांकन में शिकायतों के निपटान करने की गुणवत्ता भी काफी मायने रखती है।
17.	All the offices are regularly using CPGRAMS to monitor & redress the grievances.	शिकायतों की निगरानी और निराकरण के लिए नियमित रूप से सभी कार्यालय सीपी ग्राम्स का उपयोग कर रहे हैं।
18.	The Indian delegation to 108th ILC also included Hon'ble Labour Minister from Bihar.	आईएलसी के108 वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में बिहार के माननीय श्रम मंत्री भी शामिल हुए।

ई-सरल हिंदी वाक्य कोश

क्रम सं.	English Sentence	हिंदी वाक्य
19.	He emphasized that the proposed labour codes did not compromise the powers of the inspector.	उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रस्तावित श्रम संहिताऐं निरीक्षक की शक्तियों से कोई समझौता नहीं करती।
20.	India proposed a number of amendments to the Draft instrument.	भारत ने लिखित प्रारूप में अनेक संशोधनों का प्रस्ताव किया है।
21.	The suggestion was noted by the office and accordingly changes were incorporated in the form.	उनके सुझावों को कार्यालय द्वारा नोट किया गया और तदनुसार परिवर्तनों के प्रारूप में शामिल किया गया।
22.	He stressed that the term 'Modern Slavery' was not defined in ILO instrument.	उन्होंने बल देते हुए कहा कि' आधुनिक दासता 'को आईएलओ के लिखित में परिभाषित नहीं किया गया है।
23.	Follow-up to the resolution concerning the elimination of violence and harassment in the world of work	कार्य जगत से हिंसा और उत्पीड़न के उन्मूलन से संबंधित संकल्प पर पर अनुवर्ती कार्यवाही।
24.	Agenda of the future sessions of the International Labor Conference	अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के भावी सत्रों की कार्यसूची मदें।
25.	The Office should provide details about the reporting burden on the member states.	कार्यालय को सदस्य राष्ट्रों के उत्तरदायित्वों के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करना चाहिए।
26.	Collecting the data of Job Fairs conducted by various MCCs.	विभिन्न एमसीसी द्वारा आयोजित किए गए रोजगार मेलों के डेटा का संग्रहण।
27.	Maternity protection then becomes essential to balance the two aspects.	इन दो परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए मातृत्व संरक्षण अनिवार्य हो जाता है।

ई-सरल हिंदी वाक्य कोश

क्रम सं.	English Sentence	हिंदी वाक्य
28.	Employment of older workers and longer working life.	वृद्ध कामगारों का नियोजन तथा अधिक लंबा कार्य जीवन।
29.	Content development for training programmes.	प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सामग्री विकास।
30.	New job opportunities in ageing societies - for future of long term care work.	प्रौढ़ समाजों में नौकरी के नए अवसर-दीर्घावधि देखरेख कार्य के भविष्य के लिए।
31.	It has a network of 997 Employment Exchanges.	इसका 997 रोजगार कार्यालयों का नेटवर्क है।
32.	Trade Liberalisation and the impact on the BRICS labour Market	व्यापारिक उदारीकरण और ब्रिक्स श्रम बाजार पर प्रभाव।
33.	Coordination development for training.	प्रशिक्षण के लिए विकास समन्वय।
34.	Promoting quality employment for a sustainable social security system.	सतत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हेतु गुणवत्ता नियोजन को बढ़ावा देना।
35.	These can be addressed by suitably investing in the skill sets of our workforce.	हमारे कार्यबल के कौशल विन्यासों में उपयुक्त रूप से निवेश करके इन पर ध्यान दिया जा सकता है।
36.	The duties & responsibilities of Chief Controller of Accounts of The Ministry are as under	मंत्रालय के मुख्य लेख नियंत्रक के कर्तव्य और दायित्व निम्नलिखित हैं।
37.	The Chief Controller of Accounts is the Head of Accounting Organization in the ministry.	मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय के लेखा संगठन के अध्यक्ष होते हैं।

ई-सरल हिंदी वाक्य कोश

क्रम सं.	English Sentence	हिंदी वाक्य
38.	All the schemes were reviewed thoroughly.	सभी स्कीमों की पूरी तरह से समीक्षा की गई।
39.	The non-tax receipts are being taken into account through this portal.	इस पोर्टल के माध्यम से गैर-कर प्राप्तियां खाते में ली जा रही हैं।
40.	Payment of Pay and Allowances in respect of Ministry's Staff.	मंत्रालय के स्टाफ के संबंध में वेतन और भत्तों का भुगतान।
41.	Payment of Grants-in-aid to Grantee Institutions.	अनुदानग्राही संस्थाओं को अनुदान सहायता का भुगतान।
42.	Payment of Long term and Short term advances to the staff of the Ministry.	मंत्रालय के स्टाफ को दीर्घावधि और अल्पावधि अग्रिमों का भुगतान।
43.	Payment of Medical Reimbursement Bills.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान।
44.	Rendition of advice on finance & accounts matters to the Ministry.	मंत्रालय को वित्त एवं लेखा संबंधी मामलों पर सलाह देना।
45.	Reconciliation of Cash Balances of the Ministry.	मंत्रालय के शेष नकदी का समाधान।
46.	Authorize pension payment on retirement of employees.	कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर पेंशन भुगतान को अधिकृत करना।
47.	Coordinates the work of Employment Service in States/UTs.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में रोजगार सेवा के कार्य में समन्वय स्थापित करना।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

राजभाषा पखवाड़ा

दीप प्रज्ज्वलन कर राजभाषा पखवाड़ा का शुभारंभ करते हुए उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

राजभाषा पखवाड़ा का उल्लास

नराकास स्तरीय राजभाषा कार्यशाला

नराकास के तत्वावधान में उप-मुख्य श्रमायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यशाला

प्रतिनिधि, आसनसोल

बुधवार को उप-मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) कार्यालय आसनसोल में नराकास के तत्वावधान में राजभाषा कार्यशाला आयोजित की गयी. इसमें मुख्य वक्ता नराकास, बर्नपुर के सहायक सचिव एवं इस्को इस्पात संयंत्र, बर्नपुर के राजभाषा अधिकारी चंद्रानंद पाठक थे. इसके अलावा कुल 14 कार्यालयों के कुल 37 कार्यालय प्रमुख, राजभाषा अधिकारी और अन्य अफसर व कर्मचारी उपस्थित हुए. तत्पश्चात उप-मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) आसनसोल विनय कुमार त्रिवेदी की अध्यक्षता में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (केंद्रीय) आसनसोल प्रतिमा साव ने कार्यक्रम शुरू किया. कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन से प्रारंभ हुआ. फिर उप-मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) आसनसोल कार्यालय के राजभाषा अध्यक्ष ने कार्यालय में हिंदी पत्राचार पर चर्चा की और उपस्थित सभी को राजभाषा हिंदी में अधिकाधिक काम करने को प्रेरित किया. फिर मुख्य वक्ता चंद्रानंद पाठक ने राजभाषा नियम-1963 की धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम 1976 के नियम पांच पर विस्तृत चर्चा की. अंत में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (केंद्रीय) आसनसोल प्रतिमा साव ने कार्यालय प्रमुख, मुख्य वक्ता नराकास, बर्नपुर के सहायक सचिव व राजभाषा अधिकारी चंद्रानंद पाठक, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, आसनसोल केंद्र दीपक साव व अन्य कार्यालयों के प्रमुख, राजभाषा अधिकारी आदि को धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम समाप्त किया.

प्रभात खबर (19.1.2024)

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

स्वच्छता पखवाड़ा

योग दिवस

बर्नपुर-आसनसोल नराकास चल वैजयंती पुरस्कार ग्रहण करते हुए उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल

श्रमवीरों का सपरिवार परिदर्शन

श्रमवीरों एवं उनके बच्चों की चित्रकारियाँ

देवज्योति मंडल, पुत्र– श्री बुद्धदेव मंडल

रौनक कुमार,
पुत्र–श्री राकेश कुमार

प्रियब्रतो पांजा,
पुत्र श्री अमित कुमार पांजा

श्रमवीरों एवं उनके के बच्चों की चित्रकारियाँ

अर्कदीप भट्टाचार्य,

पुत्र - श्री मिठु माजी

संतोष कुमार,

उच्च वर्गीय लिपिक

अर्पण माजी,

पुत्र - श्री जितेन माजी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से; अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से; प्रशिक्षण और पुरस्कार से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाये रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे; अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए; अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा-हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्द्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

जय राजभाषा ! जय हिंद !